कोर्ट केस अति आवश्यक

राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःई–12/एम/153सीसी/2010/ दिनांक :

समस्त संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
जोन, राजस्थान

विषयः माननीय श्रम न्यायालय/उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की पालना में सेवा में लिए गए श्रमिकों को भुगतान किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय ने उनकी अनौपचारिक टिप्पणी क्रमांक ए–4/लेखा/वीएनपी/10/4336 दिनांक 29.7.2010 के द्वारा विभाग में ऐसे प्रकरण जिनमें श्रमिकों को माननीय न्यायालय (श्रम न्यायालय/उच्च न्यायालय) की पालना में सेवा में लिए जाने के उपरांत भी मजदूरी का भुगतान नही किया जा रहा है, की सूची, बकाया अवधि एवं बकाया राशि मय संबंधित बजट शीर्ष जिससे भुगतान किया जाना के विवरण सहित प्रस्ताव मांगे है, ताकि श्रमिकों की सूचना मय राशि के वित्त विभाग को प्रेषित कर अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत कराया जा सके।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आपके अधीन कार्यरत जिलों के कार्यालयों/चिकित्सा संस्थानों/अधीक्षक संलग्न चिकित्सालयों में कार्यरत ऐसे श्रमिकों की पूर्ण सूचना मय राशि एवं बजट मद के प्राप्त कर 7 दिवस में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा भविष्य में किसी भी श्रमिक को माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में समय पर भुगतान नही किये जाने हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांकःई–12/एम/153सीसी/2010/1547 दिनांक : 16/8/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को उनकी अनौ.टि. क्रमांक 4/लेखा/वीएनपी/10/4336 दिनांक 29.7.2010 के क्रम में।
2. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह राजस्थान।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर